सुव्यवस्थित मतदाता
शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन सदन,
प्लाट नम्बर 2,सैक्टर–17,पंचकूला।
Website: www.secharyana.gov.in

प्रस्तावना

भारत के संविधान में वर्ष 1992 में 73वें व 74वें संशोधन से पूर्व पंचायती राज संस्थानों मे महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गो से सम्बन्धित व्यक्तियों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। आवश्यक वितीय संसाधन भी उन्हें उपलब्ध नहीं करवाये गये थे और ना ही उन्हें कोई प्रशासनिक और वितीय शक्तियां प्रदान की गई थी। कई पंचायतों को लबें समय तक निलम्बित रखा जाता था और उनके नियमित चुनाव नहीं करवाये जाते थे।

2. पंचायती राज संस्थाओं में कई दोषों और कमियों को देखते हुये यह महसूस किया गया कि पंचायती राज संस्थानों की बुनियादी और आवश्यक विशेषताएं उन्हें निश्चित रूप से निरन्तरता, वितीय और प्रशासनिक ताकत देने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये संविधान के (तिहतरवें) संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संशोधन किया गयाा । अपेक्षित संख्या में राज्य विधान मंडलों द्वारा समर्थन के बाद दिनांक 24.04.1993 को यह प्रभावी रूप से लागू हुआ।

3. गांवों, खण्ड और जिला स्तर की पंचायती राज संस्थानों के लिये पंचायतों की तरह नगरपालिकाओं, नगरपरिषद्ों और नगरनिगम भी शहरों और महानगर क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के रूप में अप्रभावी बन गये थे। इन नगरपालिकाओं के लिये नियमित चुनाव आयोजित नहीं करवाये जा रहे थे और कई नगरपालिकाओं को निलम्बित कर दिया जाता था और बहुत लम्बे समय के लिये नौकरशाही का प्रशासन भी बना रहा। निधियों का कोई उचित हस्तांतरण उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया था और ना ही कोई आवश्यक प्रशासनिक और वितीय शंक्तियां सौपीं गई थी।

4. इसलिये पंचायत से सम्बन्धित संविधान में (तिहतरवें) संशोधन अधिनियम 1992 के साथ–साथ संविधान में (चौहतरवें)

संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर नगरपालिकाओं के कामकाज के सम्बन्ध में समान संवैधानिक गांरटी प्रदान करने के लिये संशोधन पारित किया गया तथा यह अधिनियम 01.06.1993 को लागू हुआ।

5. संविधान के (तिहतरवें) संशोधन अधिनियम 1992 और संविधान के (चौहतरवे) संशोधन अधिनियम 1992 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषतओं में से एक स्वायत निकाय शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के नियमित चुनावों की देखरेख के लिये केन्द्रीय चुनाव आयोग के साथ 'राज्य चुनाव आयोग' का गठन किया।

6. नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के लिये मतदाता सूचियां तैयार करने, संचालन अधीक्षण, दिशा और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। हर पांच साल के अन्तराल पर शहरी स्थानीय निकाओं के लिये नियमित रूप से चुनाव आयोजित कराना चौहतरवें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

7. हरियाणा राज्य में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ.101.Const.Art.243K / 243ZD / 93 द्वारा दिनांक 18.11.1993 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ।

8 नगरपालिकाओ के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनो के लिये निर्वाचन नियमावली तैयार कराने का तथा उन सभी निर्वाचनो के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 243 य क' के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग मे निहित है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 3क/हरियाणा नगरनिगम अधिनियम 1994 की धारा 9 मे भी की गई है।

9 उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, दिशा और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धो के

अधीन विधान सभा क्षेत्र या उसके भाग के लिये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूचि में शामिल निर्वाचक, जो नगरनिगम/ नगरपरिषद्/ नगरपालिका के किसी वार्ड के अधीन पडते हैं , किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओ को विभाजित करेगा।

10 वार्डवार मतदाता सूचि तैयार करने के लिये राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख तक भारत के चुनाव आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूचि हिसाब में ली जायेगी। विधान सभा क्षेंत्र के मतदाताओ को इस प्रकार वार्डवार विभाजित की गई मतदाता सूचि निगम, परिषद और नगरपालिका के उस वार्ड कें लिये मतदाता सूचि होगी जो हिन्दी में और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओ में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करेगा, तैयार की जायेगी।

11 इस बात का प्रयास किया गया है कि इन निर्देशो में वे सभी आवश्यक बातें सम्मिलित हो, जिनका सम्बन्ध मतदाता सूचि तैयार करने में लगे विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से है, फिर भी इन निर्देशों को सर्वे सर्वा नहीं समझा जाना चाहिये तथा सुसंगत निर्वाचन विधि तथा नियमों को भी साथ मे देख लिया जाना चाहिये।

12 आशा है कि मतदाता सूचियां तैयार करने के कार्य से सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशो का सावधानी से पालन करेगें ताकि नगरपालिकाओं के लिये सही और दोष रहित मतदाता सूचियां तैयार की जा सकें।

पंचकुला डा0 दलीप सिंह,
तिथिः 31.08.2017 राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

प्राक्थन

लोकतंत्र में चुनावों में मतदाता की अह्म भूमिका होती है। लोकतन्त्र और चुनाव प्रक्रियाओं में लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने और स्वस्थ चुनाव करवाने के लिए मतदाता की सहभागिता अति आवश्यक है। अतः मतदाता चुनाव प्रबन्धन का अन्तरिम हिस्सा है। भारत और पूरी दुनिया में चुनाव में बढी हुई मतदाताओं की भागीदारी बहस का मामला नही बल्कि एक नियत कार्य है।

भारत में संविधान द्वारा प्रदत दिशा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशण और नियन्त्रण के अन्तर्गत चुनाव में प्रत्येक योग्य व्यक्ति को मतदाता बनाने और स्वैच्छिक रूप से मतदान करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह देखा गया है कि अब भी अधिकांश मतदाता मतदान केन्द्रों पर अपना मत देने नही जाते तथा इसके अतिरिक्त काफी संख्या में योग्य व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नही हैं, यह सब भारतीय लोकतंत्र के लिये ठीक नही है। मतदाताओं में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस बात को लेकर बहुत अन्तर है कि उन्हें "क्या जानना चाहिए" और वे "वास्तव में क्या जानते हैं", जैसा कि पंजीकरण करने, पहचान प्रमाण, मतदान केन्द्र की लोकेशन, ई.वी.एम का उपयोग, मतदान का समय, आचार संहिता, उम्मीदवार द्वारा कमजोर मतदाता व उसके सहभागियों को प्रभावित करने के लिए धन/शक्ति और शराब के उपयोग के विषय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आदि । इस जानकारी को विवेक के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है।

अनुभव बताता है कि अधिक जागरूकता को अधिक भागीदारी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि भागीदारी को कैसे विकसित एवं बढाया जाये ? इसका उत्तर मतदाता की शिक्षा में पाया गया है।

चुनाव प्रबन्धन संस्थाओं द्वारा मतदाता को शिक्षित करने के मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है । मतदाता को शिक्षित करना न केवल सही है बल्कि लोकतन्त्र में भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अच्छा रास्ता है ।

सामान्य परिचय

1. राज्य निर्वाचन आयोग की पहल

मतदाताओं के सभी वर्गो की भागीदारी में सुधार लाने के लिये, नये योग्य युवाओं, अशिक्षित व्यक्तियों, दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों एवं समाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर/वंचित वर्गो में जागरूकता को बढाया जाना अति आवश्यक है।

राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता भागीदारी और कार्य की गतिशीलता को समझने के लिये व्यवस्थित प्रक्रिया को उल्लिखित किया है, ताकि सुविधाजनक तरीके से प्रक्रिया व भागीदारी को बढाया जा सके। स्पष्ट दिशानिर्देश, व्यापक प्रचार के साथ प्रभावी कार्यान्वयन और अच्छी तरह से स्थापित प्रतिक्रिया तंत्र मतदाताओं के प्रभाव के आंकलन के लिये महत्वपूर्ण है। यह भविष्य की योजनाओं को ठीक करने, विकसित करने तथा मतदाताओं को लोकतान्त्रिक और चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं से शिक्षित करने में मददगार होगा।

शैक्षिक संस्थानों जैसे विश्वाविद्यालयों, कालेजों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और व्यवसायिक संस्थानों आदि के साथ प्रभावी साझेदारी बनाना आवश्यक है, ताकि छात्रों को लोकतात्रिक निर्वाचक प्रकियाओं और भागीदारी से अवगत करवाया जा सके।

2. **चुनाव और लोकतन्त्र का संदेश** :–लोकतन्त्र का अर्थ मतदान के माध्यम से नागरिकों के विकल्प की स्थापना करना है, आधुनिक लोकतन्त्र की घटनाओं को परिभाषित करने के लिए चुनाव ही एक मात्र माध्यम है, स्वतंन्त्र और निष्पक्ष चुनाव ही नागरिकों के लिए विभिन्न व्यक्तियों, पार्टियों और नीतियों में से उच्चित विकल्प चुनने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. **ई.पी.आई.सी.**:– निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया एक मतदाता पहचान पत्र है।

4. **वोट का महत्व** :– प्रत्येक वोट का अपना मूल्य है, क्योंकि एक वोट ही उम्मीदवार को निर्वाचित कर सकता है या हरा सकता है।

5. **वोट गुप्त है** :– मतदाताओं के वोट को गुप्त रखकर उसे किसी तहर की धमकी व भय से सुरक्षित रखा गया है

6. **वोटिंग उत्साहपूर्वक एवं फैशनेबल है**:– वोटिंग एक धुंधला एवं अधिकारिक कार्य नहीं, बल्कि एक यौवनपूर्ण एवं खुशनुमा कार्य है। महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों और शहरी आबादी के लिये विशेष रूप से सन्देश तैयार किये गये हैं जो उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

7. **व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एस.वी.ई.ई.पी.)** :–राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढाने के लिये व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी की नीति को अपनाया गया ताकि अपनाई गई नीतियों और कार्यों से लोगों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बढकर सामने आये । इसी तरह की व्यवस्था को अब एस.वी.ई.ई.पी. के नाम से जाना जाता है ।

8. **मीडिया के माध्यम से लोगों की जागरूकता** :– चुनावों में लोगों की जानकारी को बढाने के लिए, ताकि वह चुनावों प्रक्रियों में भाग ले सके, उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिये गये हैं कि वे स्थानीय समाचार पत्रों और स्थानीय केवल नैटवर्क में मतदाता सूची कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार करे ।

9. **लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से जागरूकता** :– आयोग ने सूचना, जनसम्पर्क और सांस्कृतिक विभाग से अनुरोध किया है कि समाजिक

और सांस्कृतिक आधार पर कार्यक्रम तैयार कर पंचायत और नगरपालिका चुनावों के द्वौरान इनका प्रसारण ड्रामों (नुकड नाटक) या सैमिनार या वाद–विवाद या रागनी आदि के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालय, कालेज/इंटर कालेज की परिसरों, प्रसिद्ध / विशिष्ट स्थानों में करें ।

10. **मतदाता पर्चीः**– जब कभी राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यक समझे, सम्बन्धित उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं कि वे चुनाव की तिथि से एक दिन पहले सम्बन्धित क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरित करवायें। यह पर्ची मतदाताओं के सीरियल नम्बर, मतदान बूथ नम्बर आदि की जानकारी के साथ–साथ; वोट देने के उदेश्य को भी याद दिलाती है।

11. **मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्र (वी.आई.सी.सी.)** :– उपायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त मात्रा में वी.आई.सी.सी. स्थापित किये जायें, जहां से कि उन्हें दावे और आपत्तियां दायर करने के लिए आवश्यक फार्म, फार्म भरने के लिये सहायता, फार्म जमा करने और वांछित जानकारी प्राप्त हो सके ।

12. **बेवसाईट** :– उपायुक्तों को निर्देश दिये गये हैं कि ड्राफट मतदाता सूचि, दावे और आपत्तियों के फार्म और अन्य सम्बन्धित जानकारी, जिला प्रशासन की अधिकारिक बेवसाईट में डालें और इसे आयोग की बेबसाईट से जोडें । मतदाता फार्म बेवसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में एन.आई.सी. की सहायता ली जाती है।

13. **सुविधा** :– निर्वाचकों की सुविधा से अभिप्राय उनकी चुनावों और मतदाता पंजीकरण में भाग लेने में मद्द करना हैं– मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लोगों के अनुकुल और परेशानी मुक्त बनाना, मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक

बनाना और लोगों की जानकारी के आधार पर सुविधा के लिए उपाय करना ही आयोग का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व में किये गये कुछ प्रमुख सुविधा उपाय हैं :–

- फोटो मतदाता पर्ची का वितरण
- मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्र **(वी.आई.सी.सी.**
- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम
- जिला मुख्यालय में मतदाताओं के लिए हेल्पलाईन
- पर्याप्त संख्या में वीआईसीसी स्थापित करना
- **वी.आई.सी.सी.**पर पीने के पानी, शैड, शौचालय इत्यादि की उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था।

कैसे बने मतदाता

प्रश्न –1 पुनरीक्षण प्राधिकारी कौन है ?

उत्तर पुनरीक्षण प्राधिकारी का अर्थ है वह अधिकारी जो उपायुक्त द्वारा नियुक्त हो और उसे नगरपालिका संस्थाओं की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने और उन्हें संशोधित करने के कार्यो की जिम्मेदारी सौंपी गई हो ।

प्रश्न–2 मतदाता सूचि क्या है ?

उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा नगरनिगम, नगरपरिषद, और नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए तैयार की गई मतदाता सूचि, नगरनिकाओं की मतदाता सूची है।

प्रश्न–3 नगरनिकाय संस्थानों के आम चुनावों के लिये कब मतदाता सूची तैयार की जाती है ?

उत्तर प्रत्येक नगरनिगम, नगरपरिषद् और नगरपालिका के आम चुनाव से पहले और किसी वार्ड के उप–चुनाव से पहले उस वार्ड की आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदर्शो अनुसार मतदाता सूची विहित रिति से तैयार/संशोधित की जायेगी।

परन्तु यदि किसी कारणवश मतदाता सूची संशोधित नहीं की जाती है, तो विद्यमान मतदाता सूची की वैधता या उसके लागू रहने पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड के लिये मतदाता सूची गहन या संक्षिप्त रूप में या आंशिक गहन या संक्षिप्त रूप में, जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करें, तैयार की जायेगी।

(3) जहां मतदता सूची या इसके किसी भाग का संशोधन गहन रूप से किया जाना हो, वहां उसे नये सिरे से तैयार किया जायेगा।

(4) जब मतदता सूची या उसके किसी भाग का

संशोधन संक्षेप में किया जाना हो, तो उपायुक्त उस मतदाता सूची के सम्बन्धित भागों को उस जानकारी के आधार पर संशोधित करवायेगा जो सुगमता से उपलब्ध हो और मतदाता सूची को संशोधित सूचियों के साथ प्रारूप में प्रकाशित करेगा ।

प्रश्न–4 **नगरनिकाय संस्थाओं मतदाता सूची कैसे तैयार की जाती है ?**

उत्तर उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, दिशा और नियन्त्रण के अधीन तत्समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबन्धों के अधीन विधान सभा क्षेत्र या उसके भाग के लिये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूचि में शामिल निर्वाचक, जो नगरनिगम/नगरपरिषद्/नगरपालिका के किसी वार्ड के अधीन पडते हैं , किसी नाम में संशोधन, किसी नाम का विलोपन या परिवर्धन या शामिल करने के अध्यधीन मतदाताओं को विभाजित करेगा।

वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिये राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख तक भारत के चुनाव आयोग द्वारा अद्यतन मतदाता सूची हिसाब में ली जायेगी। विधान सभा क्षेंत्र के मतदाताओं को इस प्रकार वार्डवार विभाजित की गई मतदाता सूचि नगरनिगम, नगरपरिषद्, नगरपालिका के उस वार्ड के लिये मतदाता सूची होगी, जो हिन्दी में और ऐसी अन्य भाषा या भाषाओं में तथा ऐसे रूप में जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करे, तैयार की जायेगी।

प्रश्न–5 **प्रारूप (ड्राफट) प्रकाश्न क्या है ?**

उत्तर ज्योंहि नगरनिगम, नगरपरिषद्, नगरपालिका की वार्डवार मतदाता सूचि तैयार हो जाती है, उपायुक्त इसे नोटिस

के साथ, जिसमें कि उन्ह तिथियों बारे जानकारी हो जिन तिथियों के अन्दर वार्डवार मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे व आपत्तियां विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकते हैं, प्रकाशित करवाएगा । नोटिस सहित नगरनिगम, नगरपरिषद् व नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड की वार्डवार मतदाता सूचि की प्रति उपायुक्त के कार्यालय में, नगरनिगम, नगरपरिषद्, नगरपालिका के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य सहज सार्वजनिक स्थान (स्थानों) पर चिपकाएगा, जैसा उपायुक्त अवधारित कर ।

परन्तु दावे या आपत्तियां दायर करने के लिये कम से कम पांच दिनों की अवधि दी जायेगी।

प्रश्न–6 किसे और कब वार्ड के विभाजन पर दावे और आपतियां प्रस्तुत की जा सकती हैं ?

उत्तर निर्वाचकों/मतदाताओं के वार्डवार वितरण के सम्बन्ध में प्रत्येक दावा तथा आपति निहित प्ररूप "क" तथा "ख" में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान पुनरीक्षण प्राधिकारी को सम्बोधित और प्रस्तुत की जा सकती है या रजिस्टर्ड डाक से भेजी जा सकता है।

प्रश्न–7 कैसे और किस रूप में दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं ?

उत्तर प्ररूप–"क" में दावे उन आवेदकों द्वारा दायर किये जायेंगे, जो मतदाता सूचि में अपना नाम शामिल करवाने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हों। प्ररूप "ख" में आपतियां उन आवेदको द्वारा दायर की जायेगी, जो मतदाता सूचि में सम्मिलित नामों के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज करवाने या नाम का विलोपन करवाने के इच्छुक हों।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल वे व्यक्ति

नगरनिगम, नगरपरिषद् व नगरपालिका (जैसी भी स्थिति हो) की मतदाता सूचि में अपना नाम शामिल करवाने के लिये अपना दावा दायर करेगें, जिनके नाम विधान सभा की सम्बन्धित मतदाता सूचि में हैं, परन्तु समबन्धित नगरनिगम, नगरपरिषद् व नगरपालिका (जैसी भी स्थिति हो) की प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचि में शामिल नहीं है।

प्रश्न–8 **दावे और आपत्तियां कहां प्रस्तुत की जा सकती हैं ?**

उत्तर दावे और आपतियां सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा निर्दिष्ट स्थानों या इस उदेश्य के लिए स्थापित मतदाता सूचना सग्रह केन्द्रों (वी.आई.सी.सी.) में प्रस्तुत की जा सकते हैं।

प्रश्न–9 **प्ररूप "क" में कौन दावा दायर कर सकता हैं ?**

उत्तर जो व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने, अपनी प्रविष्टि में संशोधन करवाने या किसी दूसरे वार्ड में अपना नाम बदलवाने के इच्छुक हों ।

प्रश्न10 **प्ररूप "ख" में कौन आपत्ति दायर कर सकता है ?**

उत्तर जिस व्यक्ति को मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम पर आपत्ति हो या उसे मतदाता सूची से हटवाना चाहता हो ।

प्रशन–11 **पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध कौन अपील दायर कर सकता है।?**

उत्तर कोई भी व्यक्ति जो पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेशों से असंतुष्ट हो, आदेश की तिथि के तीन दिन के भीतर उपायुक्त को अपील दायर कर सकता है, जो अगले तीन दिन के भीतर अपील में अपना निर्णय देगा, जो कि अन्तिम होगा ।

प्रश्न–12 **अन्तिम रूप से प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूचि में नामों का शामिल, विलोपन और सुधार के लिये कौन आवेदन कर सकता है ?**

उत्तर कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित

वार्डवार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह वार्डवार मतदाता सूचि में अपना नाम जोडने/विलोपन/संशोधन हेतू उपायुक्त को आवेदन कर सकता है।

परन्तु नगरनिगम,नगरपरिषद और नगरपालिका के मतदाताओं की वार्डवार सूची में किसी नाम को दर्ज/विलोपित या संशोधित तभी किया जा सकता है, यदि दावेदार/आवेदक का नाम नामांकन पत्र दायर करने के प्रथम दिन तक विधान सभा की निर्वाचक सूची के सम्बन्धित भाग में विद्यमान हो।

प्रश्न–13 अतिंम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रतिलिपि का कौन निरीक्षण और प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर कोई भी व्यक्ति अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है और इसकी प्रमाणित प्रति सामान्य स्थिति में 12/– रूपये और तत्काल परिस्थितियों में 24/– रूपये का भुगतान कर प्राप्त कर सकता है । मतदाता सूची के प्रति पेज की प्रति 2/–रूपये के हिसाब से उपलब्ध करवाई जा सकती है, और इससे सम्बन्धित राशी मुख्य खाते में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा की जाएगी ।

प्रश्न–14 मतदाता सूचि में नाम दर्ज करवाने हेतू झूठी सूचना देने पर कोई सजा का प्रावधान है ?

उत्तर जी हां, यदि कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ हरियाणा नगरनिगम अधिनियम 1994 की धारा 8ग तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13 ग के अधीन एक माह का कारावास अथवा एक हजार रूपये की राशि तक का जुर्माना अथवा कारावास व जुर्माना दोनों का प्रावधान हैं।

मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने की पहल :–

दरअसल मतदाता और उसका मत ही भारतीय लोकतन्त्र या किसी भी भारतीय लोकतन्त्र का मूल आधार होता है। हरियाणा राज्य मे मतदाताओं को और अधिक जागरूक बनाने और उन्हें मतदान करने के लिये प्रोत्साहित करने के उदेश्य से ये किताब प्रकाशित की गई हैं। अब मतदान केन्द्रों पर 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूचि में दर्ज किये जायेगें, गौरतलब है कि 1988 में संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 18 वर्ष की आयु पार करने वाले मात्र 30 से 35 प्रतिशत युवाओं के नाम ही मतदाता सूचि में दर्ज हो पाते हैं। पिछले कई सालों से युवाओं में मतदान के प्रति घटती लोकप्रियता और कम जागरूकता की वजह से राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा को पूरी उम्मीद है कि इस तरह से हरियाणा राज्य में मतदान के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलेगी और बकाया मतदाता भी अपने मताधिकार का सही से उपयोग कर सकेगे।

आप बदलिए सिस्टम भी बदलेगा–फेसबुक, टिवटर या ब्लागिंग जगत में भारतीय सिस्टम और गंदी राजनीति पर बड़ी–बड़ी बहस करने वाले अकसर भारतीय गणतंत्र के इस यज्ञ में सिर्फ इसलिए वोट डालने नही जाते क्योंकि उन्हे यहां लाइन में लगना पड़ता है, कुछ देर के लिए अनुशासन का पालन करना पड़ता है, अब आप सोच रहे होगें कि अनुशासन का गण्तंत्र से क्या वास्ता? लेकिन है, क्योंकि अनुशासन जीवन में अति आवश्यक है, जो लोग ऐसा करते हैं वह यह भूल जाते है कि अनुशासन के बिना किसी भी ध्येय की सफलता संभव नहीं

है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में हमारी गणतांत्रिक प्रणाली बेहद अहम है, गणतांत्रिक प्रणाली तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब हर इंसान अपने मत का प्रयोग करे और अपनी इच्छा–अनिच्छा को जाहिर करें।

जब तक एक मतदाता को अपने मत का अर्थ नहीं समझ आएगा तब तक सिस्टम बदलना मुश्किल है, सिस्टम को बदलने के लिए सभी को गणतात्रिंक प्रणाली में विश्वास व्यक्त करना होगा, मतदाताओं को समझना होगाकि उनका एक वोट केवल सरकार ही नही, बल्कि व्यवस्था बदलने का औजार भी बन सकता है और इसके जरिए खुद उस मतदाता का भाग्य भी बदल सकता है।

<u>चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बारेः–</u>

जैसे ही नगरपालिका / नगरपरिषद् / नगरनिगम की मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आप समझ लीजिऐगा कि अब नगरपालिकाओ के चुनाव आ गये हैं । यदि आप जागरूक मतदाता हैं और अपनी नगरपालिका/ नगरपरिषद्/नगरनिगम क्षेत्र का विकास चाहते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों का भला चाहते हैं तो आपको चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय हो कर भाग लेना चाहिये। इसके लिये आपको कुछ बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिये किः–

- आपका नाम मतदाता सूचि में जरूर दर्ज होना चाहिये तभी आप अपने मत का उपयोग कर सकते हैं या आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं।
- आपको नियमित रूप से अखबार पढ़ना चाहिये, रेडियो/एफ0एम0 सुनना तथा टी.वी. देखना चाहिये ताकि चुनाव से सम्बनिधत सारी सूचनायें और जानकारी मिलती रहे।
- आपको लोगों से चुनाव बारे विचार विमर्श करना चाहिये ताकि आप जान सकें कि नगरपालिका/ नगरपरिषद्/नगरनिगम में किन–किन प्रतिनिधियों

को पसन्द किया जा रहा हैं। उससे आप सोच पायेंगे कि जिन लोगों के चुनाव लड़ने की सम्भावना है क्या वे नगरपालिका/नगरपरिषद्/ नगरनिगम का विकास करने में सक्षम है और क्या वे प्रतिनिधि बनकर मेहनत कर आपके क्षेत्र का विकास कर सकेंगें।

- आपको प्रयास करना चाहिये कि आप वार्ड स्तर पर लोगों से चर्चा करें ताकि अच्छे उम्मीदवारों की पहचान हो सके। आप अच्छे उम्मीदवारों को तैयार कर सकते हैं और उनको चुनाव लड़नें के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- इससे पहले यह भी कोशिश करनी चाहिये कि वार्ड के सभी लोगों की रजामन्दी किसी एक व्यक्ति पर हो जाये जिससे चुनाव निर्विरोध हो सके। इसी प्रकार का प्रयास पूरी नगरपालिका/नगरपरिषद्/ नगरनिगम के चुनाव में हो सकता है।
- कुल मिलाकर आप अपने क्षेत्र में चुनावी माहौल बना सकते हैं और आम लोगो को जागरूक भी कर सकते है, जिससे अच्छी सोच वाले प्रतिनिधि चुनकर आये। यही आपकी एक मतदाता के रूप में सच्ची और सराहनीय भागीदारी होगी।
- एक मतदाता के रूप में आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुचें या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
- मतदान करने के लिये धार्मिक, साम्प्रादियक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

- मतदाता के रूप में आप मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरूद्वारों जैसे स्थलों आदि का उपयोग किसी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिये नहीं करें।
- प्रत्येक उम्मीदवार/व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का आप सम्मान करें, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों ना हों।
- किसी भी उम्मीदवार के कार्यो या विचारों का विरोध करने के लिये आप एक मतदाता के रूप में उसके घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं करें।
- जिन महिलाओं की गोद में बच्चा हो, उन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश करने में प्राथमिकता प्रदान करें।
- मतदान के दिन आप किसी उम्मीदवार के लिये प्रचार, मत मांगने या मत न देने के लिये या किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के लिये या मत न देने के लिये प्रेरित न करें।
- चुनाव से सम्बन्धित कोई नोटिस/चिन्ह कार्यालय नोटिस से भिन्न प्रदर्शित न करें।
- एक मतदाता के रूप में मतदान केन्द्र पर धूम्रपान / नशीले पदार्थो का सेवन न करें। मतदान केन्द्र पर आप अपने साथ कोई अस्त्र/शस्त्र लेकर ना जायें।
- आप मतदान केन्द्र के प्रवेशद्वार के भीतर या प्रवेशद्वार पर या उसके आस–पास किसी सार्वजनिक या निजि स्थान में, मतदान केन्द्र पर मत के लिये जा रहे किसी व्यक्ति को अपने

निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने के लिये या मतदान केन्द्र में डयूटी पर अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने के लिये शोर नहीं मचायेंगें या व्यवधान पैदा नहीं करेगें।

- आप एक मतदाता के रूप में मतदान केन्द्र तक आने–जाने के लिये किसी उम्मीदवार/सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करें। मतदान के दिन आपको किसी उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट, चुनाव डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कानून विरूद्ध कोई कार्य किया जा रहा है तो आप तत्काल इसकी सूचना उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक या सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त एक जागरूक मतदाता के रूप में आपको **भारतीय दण्डसंहिता 1860 (आई.पी.सी.)** के अन्तर्गत निर्वाचन अपराध बारे भी अवगत होना चाहिये, जो निम्न प्रकार से दिये गये हैंः–

1 **<u>रिश्वत</u> :–**

किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उदेश्य से धन से प्रभावित करना/धन लेना या धन देना (धारा 171–ख)

2 **<u>निर्वाचन में अनुचित असर डालना</u> :–**

किसी मतदाता को धमकी देना या प्रलोभन देना और निर्वाचन अधिकार के निबार्ध प्रयोग में हस्ताक्षेप करना (धारा 171–ग)

3 **<u>निर्वाचन में प्रतिरूपणः–</u>**

किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिये

आवेदन करना या मत देना या ऐसे निर्वाचन मे एक बार मत देने के पश्चात पुनः अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करना या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिये दुष्प्रेरित करना/उकसाना (धारा 171–घ)

4 **<u>निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन</u> :–** निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक आचरण या व्यवहार के सम्बन्ध में कोई ऐसा कथन करना या प्रकाशित करना जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होने की जानकारी हो या विश्वास हो (धारा 171–छ)

5 **<u>निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय</u>:–** किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना ऐसा अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने के लिये सार्वजनिक सभा के आयोजन या किसी विज्ञापन आदि पर व्यय करना (धारा 171–ज)

6 धर्म, भाषा, जन्म, स्थान, निवास आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गो के बीच वैमनस्यता फैलाने या सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना (धारा 153–क)

7 राज्य निर्वाचन आयोग आपसे एक जागरूक मतदाता के रूप में आशा करता है कि आप मतदान शांतिपूर्वक रूप से सम्पन्न करवाने हेतू निर्वाचन डयूटी पर तैनात कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

आप मतदान कैसे करेगें :–

- आप तभी वोट डाल सकते हैं जब आपका नाम उससे सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद्/नगरनिगम की मतदाता सूचि में दर्ज हो।
- आपको अपने आस–पास में स्थापित मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये, जहां पर आप द्वारा मतदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त आपको मतदान केन्द्रों के बाहर से पर्ची भी प्राप्त कर लेनी चाहिये।
- आपको अपना वोट डालने के लिये मतदान केन्द्र पर जाना होगा। मतदान केन्द्र के अन्दर आपकी पर्ची का मिलान सम्बन्धित मतदाता सूचि से किया जायेगा।
- यदि मतदान केंन्द्र के अन्दर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा आपको अवैध मतदाता घोषित कर दिया जाता है तो आप अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। उस समय आपको इसका खुलकर विरोध करना होगा तथा यह सिद्ध करना होगा कि आप ही वही मतदाता है जिसका नाम मतदाता सूचि में है।
- प्रत्येक उम्मीदवार एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। जो मतदान केन्द्र के अन्दर उस दिन उपस्थित रहता है। यह अभिकर्ता यहां वैध और अवैध मतदाता की पहचान करता है।
- यदि कोई मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता को अवैध बताता है तो उसे कारणो सहित यह साबित करना होगा कि वास्तव में वो मतदाता अवैध है। उस अवैध वोट को यदि उसी समय वोट डालने से नहीं रोका जाता तो वोटो की गिनती के समय उसका दावा मान्य नहीं होगा।
- महिला मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र पर अलग लाईन रहती है।

- अन्धे या शारीरिक रूप से कमजोर मतदाताअें के वोट डलवाने के लिये उनका कोई मददगार मतदान केन्द्र के अन्दर जा सकता है किन्तु मददगार की उम्र 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। यह मददगार, मतदाता की इच्छानुसार उम्मीदवार को वोट देगा।
- यदि किसी मतदाता कें नाम की वोट पहले ही कोई अवैध रूप से डाल गया है जिस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था और बाद में असली मतदाता वोट डालने आता है और वह यह सिद्व कर देता है कि वही असली मतदाता है तो उस मतदाता को वोट डालने दिया जायेगा। यह निविदत्त मत कहलायेगा उस वोट को अलग पैकेट में रखा जायेगा। वोटो की गिनती के समय उसकी गिनती नहीं की जायेगी।
- यदि किसी मतदान केन्द्र पर हिंसा द्वारा या किन्हीं प्राकृतिक बाधाओं के कारण मतदान कराना संभव नहीं हो रहा तो उस हालात में रिटरनिंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी मतदान स्थगित कर सकते हैं। मतदान की आगामी तारीख तय होने पर वहां पुनः मतदान कराया जायेगा और आशा है कि आप एक मतदाता कें रूप में निर्धारित तारीख पर अपना मतदान करें।
- यदि मतदान करने का समय समाप्त हो गया हो तो जितने मतदान केन्द्र पर मतदाता लाईन में होगें उनके वोट डलवाने के बाद ही मतदान केन्द्र बन्द किया जायेगा।
- मतदान शुरू होने से पहले ई.वी.एम. को अच्छी प्रकार सील बन्द कर दिया जायेगा एवं उस समय उम्मीदवारों/उनके निर्वाचन अभिकर्ता को इसे दिखाकर उनकी सन्तुष्टि की जायेगी।
- प्रत्येक मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश के उपरान्त पीठासीन अधिकारी अथवा इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदाता का नाम तथा मतदाता सूचि में

सम्बन्धित प्रविष्टि सहित अन्य विवरणों की जांच करेगा और तब मतदाताओं की क्रम संख्या, नाम तथा अन्य विवरण बोलेगा। इसके उपरान्त मतदाता की बायीं तर्जनी उंगली (अंगूठें के बाद सबसे पहली उंगली) पर अमिट स्याही लगाई जायेगी।

- पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी महिला मतदाता की तलाशी में सहायता करने के लिये किसी महिला को सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- यदि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी कारणवश जिन मतदाताओं को पहचान पत्र जारी नहीं किये हैं तो उस स्थिति में आप अपनी मतदाता के रूप में पहचान स्थापित करने हेतू निम्नलिखित दस्तावेज सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैंः–

1 पासपोर्ट
2 ड्राइविंग लाइसेंस
3 आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
4 केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य सार्वजनिक निकायों एवं अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कपंनी द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र
5 प्राधिकृत बैंक या पोस्ट आफिस खाते की पास बुक जिसमें फोटो लगी हो।
6 स्वतत्रंता सेनानी पहचान पत्र फोटो सहित
7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र फोटोग्रफ सहित
8 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकंलगता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ सहित
9 फोटोग्राफ सहित शस्त्र लाइसेंस

10 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जांब कार्ड फोटोग्रफ सहित

11 सम्पति दस्तावेज जैसे पट्टा, पंजीकृत दस्तावेज आदि फोटोग्रफ सहित

12 पेशंन दस्तावेज फोटोग्राफ सहित जैसे भूतपूर्व सैनिक पेशंन बुक/पेशन भुगतान आदेश, पुर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पैशंन आदेश

13 स्वास्थ्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड फोटोग्राफ सहित

14 राशन कार्ड फोटोग्राफ सहित

15 यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा जारी आधार कार्ड।